संख्या–2076/9–1–14–66 सा/2001

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.निदेशक,
स्थानीय निकाय उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
3.समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 09 जून 2014

विषयः– प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों में सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित सफाई कार्मिकों को रू. 250/– प्रतिदिन की दर से भुगतान करने तथा भविष्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों में निहित शर्तो एवं परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के अनुसार भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों में सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित सफाई कार्मिकों को रू. 250/– (रूपये दो सौ पचास मात्र) प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। कृपया तद्नुसार ऐसे सफाई कार्मिकों को रू. 250/– की दर से भुगतान करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय स्थानीय निकाय में सेवाप्रदाता के माध्यम से नियोजित सफाई कार्मिकों का पारिश्रमिक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार रू. 250/– से अधिक होने पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्राविधानों में निहित शर्तो के अनुसार शासन के नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–1970/दस–14 दिनांक 09 जून, 2014 मे प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.महालेखाकार, उ.प्र., इलाहाबाद।
2.अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग,उ.प्र.,लखनऊ।
3.प्रमुख सचिव, श्रम विभाग,उ.प्र. शासन।
4.प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ।
5.समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग/जल संस्थान,उ.प्र.।
6.समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा जिलाधिकारी,उ.प्र0।
7.नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/वित्त ई–8/वि.(वे.आ.) अनुभाग–2
8.वेबमास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेवसाइट में तत्काल अपलोड करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।